कार्यालय जिलाधिकारी– महोबा

संख्या– 159 /आठ–वि0भू0अ0अ0 बांदा/सार्व0सूचना– महोबा 2020–21दिनांक–27.05.2020

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि जनपद–महोबा की तहसील महोबा के ग्राम कौहारी, ग्योड़ी, खन्ना व तहसील चरखारी के ग्राम खरेला की भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त से सम्बन्धित प्रस्तावित भूमि के अर्जन के पूर्व " भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 "एवं भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार उत्तर प्रदेश नियमावली 2016" के अनुसार सामाजिक समाघात आंकलन " रिर्पोट (social impact Assessment) व सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना एस0आर0एशिया गाजियाबाद द्वारा अन्तिम रिर्पोट तैयार कर उपलब्ध करायी जा चुकी है।

अतः उपरोक्तानुसार अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वर्णित भूमि के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात आंकलन रिर्पोट(social impact Assessment) व सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना का अवलोकन जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय पर कर सकते है।

(अवधेश कुमार तिवारी)
जिलाधिकारी
महोबा।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि–1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0 प्र0 एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्रधिकरण (यूपीडा) लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी महोबा को इस निदेश के साथ जिला/सरकार की वैवसाइड पर अपलोड करना सूनिश्चत करें।

3. उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार महोबा / चरखारी को इस निदेश के की अपने नोटिस वोर्ड में चस्पा कर अवश्यक कार्यवाही हेतु ।

4. जिला सूचना अधिकारी महोबा को इस निर्देश के साथ कि जनपद में सर्वाधिक पढे जाने वाले दो समाचार पत्रो (दैनिक जागरण व अमर उजाला) में सरकारी दर पर न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कराये जाने हेतु।

5. खण्ड विकास अधिकारी कबरई/चरखारी को अपने–अपने सूचना पट में चस्पा करने हेतु

27/5/2020

(अवधेश कुमार तिवारी)
जिलाधिकारी
महोबा।